(24)

R-7836
भारत सरकार पुस्तकालय
दिनांक 15-5-03 प्राप्त ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

रजपत्र वितरण एकक

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2003/भाद्र 7, 1925
No. 133] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2003/BHADRA 7, 1925

PD-265
Eqpt. 5
Deptt. 15
Advt. 5
FB 2240
शिक्षा
प्रभारी
रा० वि० एकक

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2003

सं. फा. 48-6/2003 राअशिप (मानदण्ड और मानक).—दिनांक 6 जून, 2003 की अधिसूचना संख्या 48-6/2003 राअशिप (मानदण्ड और मानक) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 13 नवम्बर, 2002 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 को संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 1993 (1993 का 73वां) की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :—

1 लघु शीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. संशोधन की सीमा

उक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियमों के पैरा की धारा (iv) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:

606

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

"किसी भी संस्थान को दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में, इन विनियमों के परिशिष्ट 3 से परिशिष्ट 14 तक में यथानिर्दिष्ट मूल इकाई से बढ कर वृद्धि के लिए आवेदन करने और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए आवेदन पत्र देने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि (क) उसे स्थायी मान्यता न मिल चुकी हो और उसने ऐसा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम सतत रूप से तीन वर्ष तक न चलाया हो और (ख) उसने अपने आपको एनएएसी द्वारा विकसित नौ बिन्दु के मापक्रम पर बी + ग्रेड सहित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) से प्रत्यायित न करा लिया हो ।

किन्तु शर्त यह है कि यह विनियम प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने और प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अध्यापक प्रशिक्षण शुरू करने के लिए लागू नहीं होगा ।"

एस. के. राय, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2003/असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATIONP

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2003

No. F. 48-6/2003-NCTE(N&S).—In exercise of the powers conferred under clauses (f) and (g) of Sub-section (2) of Section 32 of the NCTE Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations to amend the NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 dated 13th November, 2002 as amended *vide* notification No. F. 48-6/2003-NCTE (N&S) dated 6th June, 2003.

1. **Short Title and Commencement**

(i) These regulations may be called the NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) (Second Amendment) Regulations, 2003.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Extent of Amendment**

Clause (iv) of para 8 of the aforesaid NCTE Regulations shall be substituted by the following:-

(a) " No institution shall be permitted to apply for enhancement of its intake over and above the basic unit as indicated in the Appendices 3 to 14 of these regulations and for starting a new course or training in teacher

Attested

5/9/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

607

education under sub-section (1) of Section 15 of NCTE Act, 1993 unless (a) it has been granted permanent recognition and has continuously run teacher training programme or course for a period of three years; and (b) it has accredited itself with the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with a grade of B+ on a nine point scale developed by NAAC.

Provided that this shall not apply in respect of enhancement of intake in elementary teacher training institutions and for starting a course or training in elementary teacher education."

S. K. RAY, Member-Secy.

[ADVT III/IV/131/2003/Exty.]

सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.